

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम श्रीपालगढ  
श्रीलाराम बनाम जगदीश  
 मुकदमा 212 RT Act नं. 32/2020 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्दि: प्रक्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
01/01/2021	पत्रावली पैसा। वकील उपपक्ष उपस्थित। उपपक्ष वकील की बहक बुनी गयी। पत्रावली वास्ते माफेरा फि. 04/01/2021 को पैसा ले।	
01/01/2021	पत्रावली पैसा। वकील उपपक्ष उपस्थित। प्राची अधिकृत ने अपनी बहक में बताया कि वादग्रस्त भारती प्राची के पिता उपपक्ष की खातेवाली कम्प्युटर श्रमि रही है। स्व. उपपक्ष ने अपने जीवनकाल में ही अपने तीनों पुत्रों को वादग्रस्त भारती से 1/3-1/3-1/3 हक हिस्सा दे दिया था। उद्यम दृष्ट्या माफेरा, सुबिधा का समुदाय प्राची के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त भारती प्राची के पिता उपपक्ष की खातेवाली कम्प्युटर श्रमि है। अगर प्राची सख्या 01, 02 ने वादग्रस्त भारती से प्राची को बंद कर दिया व वादग्रस्त भारती का बचत हस्तांतरण कर दिया तो प्राची अपने हक हिस्से से वंचित हो जायगा तथा प्राची को अपूरणीय कति होगी। अतः राज्य कद के सिस्तरा लक वेरि स्व. प्राची की प्रथासिति ब्याहरेको मापणीगु मजिस्ट्रेट ने अपनी बहक में बताया कि प्राची ने अधिनापत्र के स्व. उपपक्ष के विधिक वारिसों को पत्रावली नहीं बनाया। प्राची व मापणीगु के पिता उपपक्ष को	

तारीख  
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्बर नं  
अदालत  
हुकम को  
में जारी

अपने प्रती के प्राप्त भूमि खसला नं. 293/L को  
अर्चनापत्र में जोड़ कर नई नक्शा वणिगल आराजी  
में प्रती है। उद्यम हुकम प्राप्त, सुविधा का सुलभ,  
अपूरणीय शक्ति प्रती को ही एने के अर्चनापत्र खारिज  
करवाने का निर्देश किया।

इसने जवाबी में उपलब्ध दस्तावेजों  
का सवलोकन किया तथा वहीन खेतीपदा की नदण  
पर गत किया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के अंतर्गत  
विद्युतों उद्यम हुकम प्राप्त, सुविधा का सुलभ,  
अपूरणीय शक्ति को अज्ञात में रखते हुए अर्धी का  
अर्चनापत्र अंतर्गत धारा 215 RT Act का अंगिकार  
किया जाता है तथा राजस्व गृह धाद के अन्तर्गत  
दौरान एवं अन्तर्गत त्क अर्धी के पदा में एवं  
अपूरणीय के विद्युत अस्थायी निषेधाज्ञा इस अज्ञाप  
की जारी की जाती है कि वणिगल आराजी के  
अर्धी के हिस्से की भूमि में अपूरणीय दहनसंयोजक  
नहीं करे एवं अज्ञात एवं अज्ञात की अज्ञात अज्ञात  
दले। अज्ञात अज्ञात अज्ञात एवं अज्ञात अज्ञात  
अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात  
04/01/2021 को अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञात

अज्ञात अज्ञात  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ (जोधपुर)

स.मु.जी.